

स्वायत्तिकाया -- इस खण्ड में वर्तित विनयों के अंतर्गत कौन-कौन से उपविभाग या शाखाएं होने उनके नामों कोन-कौन से कार्य किए जायेंगे, इसका निर्धारण परिषद द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से किया जाएगा।

(8) "अवकाश" से अभिप्रेत है नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत का अवकाश;

(9) "सुविधाकारी" से अभिप्रेत है, विनय 3 में वर्तित प्राधिकारों;

(10) "परिषद" से अभिप्रेत है, नगरपालिका विनय की स्थिति में विनय तथा नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत की स्थिति में परिषद;

(11) "सचिव" से अभिप्रेत है, मुख्य कार्यपालिका पदाधिकारी द्वारा सचिव के रूप में परदस किया गया अधिकारी;

(12) इस विनयों में प्रयुक्त परन्तु अपविधित शब्दों का वह अर्थ होगा जो उनके लिए अधिनियम में दिया गया है।

3. धैर्य-नून-काउंसिल का गठन -- (1) प्रत्येक नगरपालिका विनय में धैर्य-नून-काउंसिल महापौर और दस सदस्यों से मिलकर होगी।

(2) उपविभाग (1) में वर्तित सभी दस सदस्य महापौर द्वारा विनय के निर्धारित पारसे में से लिए जायेंगे किन्तु काय से कम दो सदस्य महिला वर्ग में, कम से कम दो सदस्य अन्य पिछड़ी वर्ग से तथा कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से शामिल करना आवश्यक होगा, साथ ही अवकाश (सीकर) को भी एक सदस्य के रूप में शामिल किया जायेगा, ये सभी सदस्य महापौर के प्रसाधन ही धैर्य-नून-काउंसिल के सदस्य रह सकेंगे।

4. धैर्य-नून-काउंसिल का गठन -- (1) प्रत्येक नगरपालिका परिषद एवं प्रत्येक नगर पंचायत में धैर्य-नून-काउंसिल नगरपालिका परिषद की स्थिति में अध्यक्ष और सात सदस्यों तथा नगर पंचायत की स्थिति में अध्यक्ष और पाँच सदस्यों से मिलकर होगी।

(2) उपविभाग (1) में वर्तित नगरपालिका परिषद में सभी सात सदस्य तथा नगर पंचायत में सभी पाँच सदस्य अवकाश द्वारा परिषद के निर्धारित पारसे में से लिए जायेंगे किन्तु, नगरपालिका परिषद तथा नगर पंचायत प्रत्येक की स्थिति में कम से कम एक सदस्य महिला वर्ग से, कम से कम एक सदस्य पिछड़ी वर्ग से तथा कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से शामिल करना आवश्यक होगा, साथ ही उपर्युक्त को भी एक सदस्य के रूप में शामिल किया जायेगा, ये सभी सदस्य अध्यक्ष के प्रसाधन ही धैर्य-नून-काउंसिल के सदस्य रह सकेंगे।

5. विनय अधिकार -- (1) विभिन्न प्राधिकारियों में विनयानुसार विनय अधिकार होयता होगी :-

1. (एक) नगर पालिका विनय की स्थिति में :-

वर्तिका

क्र.	प्राधिकार	कर्मसंख्या
(1)	(2)	(3)
1.	आयुक्त, नगर पालिका विनय	50 लाख रु. तक.
2.	मेयर-नून-काउंसिल	50 लाख रु. से अधिक किन्तु 1.50 करोड़ रु. से अधिक.
3.	विनय	1.50 करोड़ रु. से अधिक किन्तु 5 करोड़ रु. से अधिक.

1. अधिनियम क्रमांक 41/75/51/70/18/2010 दिनांक 16 मई, 2011 द्वारा संशोधित (एक) एवं (दो) के स्थान पर प्रविधित। छ. म. एनएन (अनायास) दिनांक 16 मई, 2011 पृष्ठ 397-398(3) पर प्रकीर्णित।

(दो) नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत की स्थिति में :-

वर्तिका

क्र.	प्राधिकार	कर्मसंख्या
(1)	(2)	(3)
1.	मुख्य नगर पालिका	1 लाख रु. तक.
2.	अधिकारी	50,000/- रु. तक.
3.	परिषद	30 लाख रुपये से अधिक किन्तु 75 लाख रु. से अधिक.

1. (2) 3 लाख से अधिक कर्मसंख्या वाले नगर पालिका विनय की स्थिति में 5 करोड़ रु. से अधिक के व्यय तथा 3 लाख रु. से कम कर्मसंख्या वाले नगर पालिका विनय की स्थिति में 3 करोड़ रु. से अधिक के व्यय के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

परन्तु, तथापि, आयुक्त, नगर पालिका विनय विलबाधुर की विनय शीर्षकवाँ 50 लाख रु. तक होगी।

(3) 50,000 या उससे अधिक कर्मसंख्या वाली नगर पालिका की स्थिति में 2 करोड़ रु. से अधिक के व्यय तथा 50,000 से कम कर्मसंख्या वाली नगर पालिका की स्थिति में रु. 1.25 करोड़ से अधिक के व्यय तथा नगर पंचायत की स्थिति में रुपये 75 लाख से अधिक के व्यय के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

3.***

3. (5-क) केन्द्र प्रशासित एवं राज्य प्रशासित योजनाओं के मानकों में राज्य शासन समय-समय पर कोई या दो समस्त विनय अधिकार को कि अन्यथा शासन या नगरपालिका विनय या नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत में निर्धारित है, को विनय विनय अधिनियम के अन्तर्गत होने के नाते विनय केन्द्र में प्रशासित कर सकेगा।

4. (5-ख) लोक कार्य के लिए धन सामग्री अन्य करों के बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :-

- (क) विभिन्न विनयों तथा अन्य धन कार्यों एवं धन और अन्य सामग्रियों के क्रय के लिये सूचीबद्ध कार्य/क्रय के अंतर्गत अनुमोदित दर नहीं अपनाई जायेंगे तथा ऐसे कार्य/क्रय को नवीन प्रक्रिया मानक निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
1. अधिनियम क्रमांक 41/75/51/70/18/2010 दिनांक 16 मई, 2011 पर अधिनियम (2) एवं (3) के स्थान पर प्रविधित। छ. म. एनएन (अनायास) दिनांक 16 मई, 2011 पृष्ठ 397-398(3) पर प्रकीर्णित।
2. अधिनियम क्रमांक 41/75/51/70/18/2010 दिनांक 16 मई, 2011 द्वारा अधिनियम (4) एवं (5) का लोभ भिन्न जगह : छ. म. एनएन (अनायास) दिनांक 16 मई, 2011 पृष्ठ 397-398(3) पर प्रकीर्णित।
3. अधिनियम क्रमांक 43/31/18/2003, दिनांक 1-4-2003 द्वारा अन्तःसंशोधित। वर्तमान एनएन (अनायास) दिनांक 4-4-2003, पृष्ठ 179-180(1) पर प्रकीर्णित।
4. अधिनियम क्रमांक 43/75/51/70/18/2010 दिनांक 16 मई, 2011 द्वारा अधिनियम (5-ख) के स्थान पर प्रविधित। छ. म. एनएन (अनायास) दिनांक 16 मई, 2011 पृष्ठ 397-398(3) पर प्रकीर्णित।

काउंसिल या प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उसी रूप में मान लिया जाएगा कि क्यास्थिति मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल द्वारा यह प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है और सदस्यता प्रकरण पर आगामी कार्यवाई की जाएगी।

- (ख) यदि प्रकरण क्यास्थिति महसूस या अपवाद या प्रभावी सदस्य के क्षेत्राधिकार का है तब मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा क्यास्थिति महसूस या अपवाद या प्रभावी सदस्य से प्रकरण दायित्व लेना सीधे अपने प्रस्ताव के साथ तथा यदि प्रकरण क्यास्थिति मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल के क्षेत्राधिकार में आता है तब क्यास्थिति मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल को और यदि क्यास्थिति नियम या परिषद के क्षेत्राधिकार में आता है तब ऐसा प्रकरण अपने प्रस्ताव सहित क्यास्थिति नियम या परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

परंतु यह कि यदि महसूस या अपवाद या प्रभावी सदस्य, क्यास्थिति, किसी भी कारण से अनु-नियम (1) में निम्नलिखित हेतु निर्दिष्ट समय-सीमा की समाप्ति के तीन दिनों के अन्दर तब प्रकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नहीं सौंपते हैं तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रकरण की सख्त प्रतिक्रिया देकर कर तथा अपने प्रस्ताव का उत्तर देकर करने के पश्चात् इस नियम के अनुसार प्रकरण को इस धारुण के अंतर्गत विनिश्चय हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, का लेख करते हुए कार्यवाही करेगा।

परंतु यह भी कि क्षेत्राधिकार के अनुसार प्रकरण को अगले स्तर के प्राधिकारों के समक्ष प्रस्तुत करते समय मुख्य कार्यपालक अधिकारी इसके साथ महसूस या अपवाद तथा/या मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल द्वारा उठाये गये प्रयोग और संबंधित विवरण पर किन्तुवाच उसके द्वारा दिये गये प्रस्ताव की प्रति संलग्न करेगा।

- (2) अनियम (1) के अन्तर्गत यदि प्रकरण परिषद के समक्ष तीन दिन से भी अधिक समय में लंबित है तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी नगरपालिका नियम की स्थिति में अपवाद (स्वीका) तथा नगरपालिका एवं नगर पंचायत की स्थिति में उसके अपवाद से परिषद की विशेष बैठक आयोजित करने के लिए प्रस्ताव करेगा और यदि क्यास्थिति उत्पन्न प्राधिकारी परिषद की विशेष बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं देते हैं तब मुख्य कार्यपालक अधिकारी को राज्य सरकार के प्रशासन के अधीन परिषद की बैठक आयोजित करने का अधिकार होगा जिसमें परिषद द्वारा ऐसे लंबित प्रकरण पर आदेश पारित किए जायेंगे।

14. विभागाध्यक्ष -- नगरपालिका के प्रत्येक विभाग के लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को विभागाध्यक्ष के रूप में नामांकित करेगा।

परन्तु मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को एक से अधिक विभागों का विभागाध्यक्ष नामांकित कर सकेगा।

15. मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल की बैठक -- (1) क्यास्थिति मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल की बैठक आवश्यकतापूर्वक सभी भी आयोजित की जा सकेगी।

परंतु बैठक इस प्रकार से आयोजित की जाएगी जिसमें कोई भी प्रकरण तब दिन से अधिक लंबित न रहे।

(2) प्रत्येक बैठक में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या उसके द्वारा नामांकित कोई अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित होगा जो बैठक में आवश्यकतापूर्वक अपने विचार व्यक्त कर सकेगा परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

- (3) बैठक नगरपालिका भवन में आयोजित की जाएगी और बैठक की तारीख व समय का निर्धारण क्यास्थिति महसूस या अपवाद द्वारा किया जायेगा।

- (4) सचिव द्वारा प्रत्येक बैठक की सूचना जिसमें बैठक का स्थान, दिनांक तथा समय निर्दिष्ट हो स सदस्यों को बैठक की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व भेजी जायेंगी परंतु आकस्मिक परिस्थितियों में एक दिन पूर्व की सूचना पर भी बैठक बुलाई जा सकेगी।

(5) किसी भी कोई प्रकरण विचारपूर्वक प्रस्तुत होता है, उसे सचिव द्वारा एक लिखत में रखा जाएगा; ऐसे सभी प्रकरणों को बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि कोई प्रकरण बैठक में निर्धारित होने से शेष छ आठ आगामी बैठक में समाप्त-तब; उस पर सबसे पहले विचार किया जाएगा।

16. कार्यवाही प्रक्रिया -- (1) बैठक की कार्यवाही एक पुस्तिका में लिखी में लेखबद्ध की जाए जिसकी पुष्टि उसी बैठक में या आगामी बैठक में की जाएगी। कार्यवाही पुस्तिका में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होंगी :-

- (क) उपस्थित सदस्यों के नाम तथा हस्ताक्षर
- (ख) प्रत्येक प्रकरण में विनिश्चय
- (ग) कार्यवाही पर बैठक के अपवाद तथा सचिव के हस्ताक्षर।
- (2) कार्यवाही पुस्तिका किसी भी पक्ष के निर्माण के लिए कार्यवाहीयन समय में निःशुल्क खुली रहे।
17. निरस्त -- इन नियमों के प्रारंभ होने के अन्तर्गत पूर्व प्रवृत्त :-
- (1) छठीसाठ नगरपालिका (स्थायी समिति के कामकाज के संवाधान हेतु श्रुतियाँ) नियम, 1997
- (2) छठीसाठ नगरपालिका नियम (स्थायी समिति के कामकाज का संवाधान) नियम, 1997।
- (3) छठीसाठ नगरपालिका (विभागीय समितियों के कार्य, संबंधित तथा उनके कामकाज के संवा हेतु श्रुतियाँ) नियम, 1997।
- (4) छठीसाठ नगरपालिका नियम (प्राधिकारियों के विधाय अधिकार तथा अनुबंध) नियम, 1994
- (5) छठीसाठ नगरपालिका (प्राधिकारियों के विधाय अधिकार तथा निधाय आयोजित करने की सी नियम, 1994।

तथा इन नियमों के तत्त्वधानी अन्य समस्त नियम, उपविधायी या आदेश यदि कोई हों, इन नियमों के प्र होने की तारीख से निरस्त हो जायेंगे।

परंतु इस प्रकार निहित नियम/उपविधायी या आदेशों में से किसी के भी अधीन की गई कोई भी बात या गई कोई भी कार्यवाई जब तक कि ऐसा बात या कार्यवाई इन नियमों के उक्तों से असंगत न हो, इन नियमों तत्त्वधानी उक्तों के अधीन की गई समझी जाएगी।

18. सिद्धिबद्ध -- इन नियमों में अन्तर्लिखित किसी भी खण्ड को राज्य सरकार, विशेष प्रस्ताव रूप में संशोधित कर सकेगी।